सरकार ने एमएसएमई के लिए खोला खजाना

नई नीति को यूपी कैबिनेट की मंजूरी, निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी

50% ब्याज में छूट, पार्क पर स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत राहत

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए खजाना खोल दिया है। एमएसएमई में निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट (उपादान) दी जाएगी। 10 एकड़ से अधिक में एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने पर स्टांप शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। दूषित पानी के निस्तारण के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी) के लिए 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी गई। इसमें कोई भी संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उपादान के रूप में 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी। पूंजीगत उपादान प्लांट व मशीनरी आदि पर मिलता है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में उपादान की यह सीमा 15-25 प्रतिशत तक और मध्यांचल व पश्चिमांचल में 10-20 प्रतिशत तक होगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए दो प्रतिशत अधिक छूट दी जाएगी। उपादान की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये प्रति इकाई निर्धारित की गई है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी में पहली बार ऐसी नीति लाई गई है।

एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को ब्याज में 60 प्रतिशत छूट

नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान के तहत ऋण पर देय वार्षिक ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह छूट 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा और अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये प्रति इकाई होगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए यह ब्याज उपादान 60 प्रतिशत तक होगा।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने पर 5 लाख तक की भरपाई

एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसी सभी इकाइयों को लिस्टिंग के व्यय का 20 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपये की भरपाई की जाएगी। बहुमंजिला फैक्टरी की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ग्राम सभा की 5 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए मिलेगी

- 10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट और ऋण पर 7 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान (अधिकतम दो करोड़ रुपये) उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों और शेडों के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक ग्राम सभा की भूमि पुनर्ग्रहीत कर निशुल्क उद्योग निदेशालय को स्थानांतरित की जाएगी। विभाग भूखंडों का विकास करते हुए जिलाधिकारी के सर्किल रेट पर आवंटन करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 किमी की दूरी के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों के विकास के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

हॉलमार्क के लिए भी मिलेगी मदद

गुणवत्ता मानक जैसे जीरो इफेक्ट-जीरो डिफेक्ट, डब्ल्यूएचओ जीएमपी, हॉलमार्क आदि प्राप्त करने के लिए कुल लागत का 75 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जीआई रजिस्ट्रेशन और पेटेंट आदि के लिए दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। क्लीन एवं ग्रीन तकनीक को अपनाने के लिए एमएसएमई इकाइयों को अधिकतम 20 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करते हुए उद्यमिता के पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता का प्रसार किया जाएगा।

जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ दो वर्ष बाद ही ला सकेंगे अविश्वास प्रस्ताव

लखनऊ। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों (डीडीसी) और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों (बीडीसी) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब दो वर्ष बाद ही लाया जा सकेगा। इसके लिए दो तिहाई सदस्यों की सहमति भी अनिवार्य होगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को आयोजित बैठक में यूपी क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 एवं 28 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया।

पहले एक वर्ष पर ही ला सकते थे प्रस्ताव

पंचायतीराज विभाग के अनुसार अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ तक एक वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए निर्वाचित सदस्यों के 51 फीसदी की सहमति जरूरी होती थी। अधिनियम में संशोधन के बाद अब निर्वाचन के दो वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। ब्यूरो

इसलिए लाई गई नई नीति

प्रदेश में इससे पहले दिसंबर 2017 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति लाई गई थी। इसमें इन इकाइयों को देय लाभ नेट जीएसटी से लिंक्ड थे, जिसके कारण अधिकतम सूक्ष्म इकाइयां एवं निर्यातोन्मुख इकाइयां इस नीति का लाभ नहीं उठा सकीं। इसके अलावा एमएसएमई नीति-2017 और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति (आईआईपी-2017) में लघु एवं मध्यम इकाइयों को शामिल किए जाने और दोनों नीतियों में लाभ प्रदान करने की व्यवस्था में अंतर से प्रदेश के उद्यमियों में लाभ पाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न नीतियों में सामंजस्य हो और लाभ देने की प्रक्रिया में किसी तरह का विरोधाभास न हो। >> कैबिनेट के अन्य फैसले : पढ़ें अंदर